"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 जुलाई 2017—आषाढ़ 16, शक 1939

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur

Naya Raipur, the 14th Jun 2017

No. E 1-7/2011/1/2.—Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Personnel & Training vide Notification No. 13017/15/2011-AIS-I dated 27-02-2012 accords approval for inter cadre deputation of Shri Santosh Kumar Misra, IAS (TN:2000) from Tamil Nadu cadre to Chhattisgarh cadre for a period of five years with effect from the date of his reporting for duty. Shri Santosh Kumar Misra reported for duty on 15-06-2012 in Chhattisgarh cadre.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.

2. Inter cadre deputation period is completed on 14-06-2017, hence services of Shri Santosh Kumar Misra, IAS (TN : 2000), are returned to his parent cadre i.e. Government of Tamilnadu and he is relieved of his duties as secretary, Government of Chhattisgarh in the Departments of Public Relation & Culture and Tourism with effect from the afternoon of 14-06-2017.

By the order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. K. BAJPAI, Joint Secretary.

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 16 जून 2017

क्रमांक एफ 1-80/2016/तक.शि./42.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 22-11-2016 में उनके नाम के समक्ष कॉलम क्रमांक 5 में दर्शित पदस्थापना में आंशिक संशोधन करते हुए कॉलम 6 में दर्शित संस्था में अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :—

क्र.	जारी आदेश का सरल क्र.	चयनित व्याख्याता का नाम	विषय	पदस्थापना का स्थान	संशोधित पदस्थापना का स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	11	कुलेश्वर चौरे	व्याख्याता (भौतिकी)	शास.पॉली.अंबिकापुर	शास.पॉली. रायपुर

2. शेष जारी आदेश एवं शर्तें यथावत रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विभा चौधरी, उप-सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 15 जून 2017

क्रमांक 1555/एफ 29/01/2016/13/2/ऊ.वि.—यत: राज्य शासन की यह राय है कि औद्योगिक या आर्थिक क्षेत्र में व्याप्त मंदी के कारण राज्य में संचालित उद्योगों के, बंद होने की स्थिति में, इन उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के बड़ी संख्या में बेरोजगार होने की संभावना तथा राज्य के राजस्व पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए विशेष पैकेज के अंतर्गत दिनांक 01 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक की कालावधि में लागू विद्युत शुल्क में विभिन्न रियायतों को लोक हित में बढ़ाया जाना आवश्यक एवं समीचीन है. अत: राज्य शासन विद्युत शुल्क में दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से 30 सितंबर, 2017 की कालावधि हेतु निम्नानुसार छूट प्रदान करता है :—

(i) ऐसे उद्योग यथा 20 एम.व्ही.ए. तक के सभी इस्पात संयंत्र, रोलिंग मिल, स्पंज आयरन संयंत्र, फैरो एलॉयज, स्टील कॉस्टिंग, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, राईस/दाल मिल, साल्वेंट प्लांट, लघु एवं मध्यम उद्योग जिसमें सम्मिलित है सभी विनिर्माण इकाईयां, पोल्ट्री फार्म तथा एग्रीकल्चर एलाईड और अन्य कनेक्शन जो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी या अन्य लायसेन्सी से विद्युत प्राप्त करते है, हेतु वर्तमान में लागू विद्युत शुल्क की दर 6 (छ:) प्रतिशत से 3 (तीन) प्रतिशत किया जाए.

(ii) राज्य में 2 मिलियन टन से कम क्षमता वाले ऐसे स्टील उद्योग जो स्वयं के केप्टिव पॉवर प्लांट से उत्पादित बिजली का उपयोग स्टील इकाई में कर रहे है, हेतु वर्तमान में लागू विद्युत शुल्क की दर 15 (पंद्रह) प्रतिशत को 3 (तीन) प्रतिशत किया जाए.

(iii) राज्य में 2 मिलियन टन से कम क्षमता वाले स्टील उद्योग के अंतर्गत स्थापित केप्टिव पॉवर प्लांट के ऑक्जलरी खपत पर वर्तमान विद्युत शुल्क की 15 (पंद्रह) प्रतिशत दर को 6 (छः) प्रतिशत किया जाए.

(iv) राज्य में 2 मिलियन टन से अधिक क्षमता वाले ऐसे स्टील उद्योग जो स्वयं के केप्टिव पॉवर प्लांट से उत्पादित बिजली का उपयोग स्वयं के स्टील इकाई में करते हैं, हेतु वर्तमान में लागू विद्युत शुल्क की 15 (पंद्रह) प्रतिशत दर को 12 (बारह) प्रतिशत किया जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. रत्नम, विशेष सचिव.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 जून 2017

क्रमांक एफ 2-18/नौ/55-तीन.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, प्रदेश के आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) महाविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु नियम 2014 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियम में,—

1. नियम 4 के पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्हताएँ में सामान्य प्रवेश परीक्षा की प्रावीण्य सूची में अनारक्षित श्रेणी के न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक के स्थान पर "50" प्रतिशत तथा आरक्षित श्रेणियों के न्यूनतम 20 प्रतिशत अंक के स्थान पर "40" प्रतिशत अंक अंत: स्थापित किया जाता है.

2. नियम 5 के उपनियम (1) (क) में शब्द "शासकीय नियतांश की" के स्थान पर "सभी" अंत: स्थापित किया जाता है.

3. नियम 5 के उपनियम (1) (ख) एवं (घ) को विलोपित किया जाता है.

4. नियम 5 के उपनियम (1) (ग) में शब्द "शासकीय नियतांश की" के स्थान पर "सभी" अंत: स्थापित किया जाता है.

5. नियम 5 के उपनियम (1) (ङ) "प्राग-तिब् पाठ्यक्रम उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से भरी जाने वाली इन दस सीटों में से पचास प्रतिशत सीटें शासकीय नियतांश और पचास प्रतिशत सीटें प्रबंधन नियतांश की होगी." को विलोपित किया जाता है.

6. नियम 5 के उपनियम (2) में जाति प्रमाण पत्र के स्थान पर "स्थायी" जाति प्रमाण पत्र अंत:स्थापित किया जाता है तथा "एवं जाति सत्यापन प्रमाण पत्र" व "जिन अभ्यर्थियों को जाति सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है उन्हें नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र प्रवेश लेते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा", को विलोपित किया जाता है.

7. नियम 6 के उपनियम (2) में शब्द "शासकीय नियतांश की" के स्थान पर "सभी" अंत:स्थापित किया जाता है.

8. नियम 6 के उपनियम (3), (4) को विलोपित किया जाता है.

9. नियम 6 के उपनियम (5) "में से शासकीय नियतांश की सीटें" के स्थान पर "से सभी सीटें" अंत: स्थापित किया जाता है, तथा "तत्पश्चात् प्रबंधन नियतांश की सीटें संचालक आयुष द्वारा तैयार की गयी प्रावीण्य सूची से यूनानी महाविद्यालय द्वारा भरी जावेंगी. प्रवेश की कार्यवाही के पर्यवेक्षण हेतु विभाग का कम से कम एक प्रतिनिधि अनिवार्यत: रखा जावेगा" को विलोपित किया जाता है.

10. नियम 8 के उपनियम (1) में शब्द "शासकीय नियतांश की" के स्थान पर "सभी" अंत: स्थापित किया जाता है.

11. नियम 8 के उपनियम (19) (ञ) में—
"30 अक्टूबर को" विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर "भारत सरकार द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि से 07 दिन पहले सायं 5.00 बजे तक" अंत: स्थापित किया जाता है.

"30 अक्टूबर सायं 5.00 बजे" के स्थान पर "इसके बाद राज्य की" अंत: स्थापित किया जाता है.

दिनांक 30 अक्टूबर के स्थान पर "इस" तथा

"दिनांक 31 अक्टूबर" के स्थान पर "भारत सरकार द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि" अंत: स्थापित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

वाणिज्यि एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 जून 2017

क्रमांक एफ 8-1/2017/11/(6).—इंडियन बॉयलर्सं एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित कोरबा के बॉयलर क्रमांक M.P./3656 को दिनांक 24-12-2016 से 23-06-2017 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से अतिरिक्त छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बॉयलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम रूप में जमा कराई जावेगी.

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

नया रायपुर, दिनांक 21 जून 2017

क्रमांक एफ 8-5/2006/11/(6).—इंडियन बॉयलर्सं एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा एन.टी.पी.सी. कोरबा के बॉयलर क्रमांक एम.पी./3522 को दिनांक 01-05-2017 से 31-10-2017 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बॉयलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम रूप में जमा कराई जावेगी.

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लीना कोसम, अवर सचिव.

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2017

क्रमांक एफ 7-19/2015/12.—खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67) की धारा 9 ख एवं धारा 15 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 22 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—
   "22 क. जिला खनिज संस्थान न्यास के अधीन किये जाने वाले कार्यों का अनुश्रवण, संबंधित जिला हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित जिला विकास समन्वय और अनुश्रवण समिति द्वारा किया जायेगा."

2. प्ररूप-क के खण्ड 21 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—
   "21 क. जिला खनिज संस्थान न्यास के अधीन किये जाने वाले कार्यों का अनुश्रवण, संबंधित जिला हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित जिला विकास समन्वय और अनुश्रवण समिति द्वारा किया जायेगा."

टीप :— छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 को छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 22 दिसंबर, 2015 में प्रकाशित किया गया था. मूल नियम को अधिसूचना क्रमांक एफ 7-19/2015/12, दिनांक 30 जून, 2016 द्वारा संशोधित किया गया तथा अंतिम बार अधिसूचना क्रमांक एफ 7-19/2015/12, दिनांक 26 नवम्बर, 2016 द्वारा संशोधित किया गया.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इफ्फत आरा, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2017

क्रमांक एफ 7-19/2015/12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 7-19/2015/12, दिनांक 07 जुलाई, 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इफ्फत आरा, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 7th July 2017

No. F 7-19/2015/12.—In exercise of the powers conferred by Section 9B and sub-section (4) of Section 15 of Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh District Mineral Foundation Trust Rules, 2015, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. After rule 22, the following shall be added, namely :—
   "22 A. The works carried out under District Mineral Foundation Trust shall be monitored by the District Development Coordination and Monitoring Committee constituted by the Ministry of Rural Development, Government of India for the concerned District."

2. After clause 21 of Form-A, the following shall be added, namely :—
   "21 A. The works carried out under District Mineral Foundation Trust shall be monitored by the District Development Coordination and Monitoring Committee constituted by the Ministry of Rural Development, Government of India for the concerned District."

Note :— The Chhattisgarh District Mineral Foundation Rules, 2015, were notified in the Chhattisgarh Rajpatra (Asadharan) dated 22 December, 2015. The principal rules were lastly amended vide notification number F 7-19/2015/12 dated 26 November, 2016 and prior to that amended vide notification number F 7-19/2015/12 dated 30 June, 2016.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
EFFAT ARA, Joint Secretary.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 9 मई 2017

क्रमांक 4401/1480/21-ब/छ.ग./2017.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय, अधिवक्ता को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए श्री गेंदलाल डिंडोरे के स्थान पर अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक, मुंगेली तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए शासन की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक मुंगेली के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा पर (या 62 वर्ष जो भी पहले हो) नियुक्त करता है. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. शासन, विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 9 मई 2017

क्रमांक 4403/1478/21-ब/छ.ग./2017.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री राजकुमार सोनी, अधिवक्ता को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए शासकीय अभिभाषक, धमतरी तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए शासन की ओर से पैरवी करने के लिए लोक अभियोजक, धमतरी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा पर (या 62 वर्ष जो भी पहले हो) नियुक्त करता है. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. शासन, विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 11 मई 2017

क्रमांक 4436/1477/21-ब/छ.ग./2017.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री संदीप श्रीवास्तव, अधिवक्ता को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए शासकीय अभिभाषक, कांकेर तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए शासन की ओर से पैरवी करने के लिए लोक अभियोजक, कांकेर के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा पर (या 62 वर्ष जो भी पहले हो) नियुक्त करता है. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. शासन, विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 11 मई 2017

क्रमांक 4438/1479/21-ब/छ.ग./2017.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री दिनेश कुमार पानीग्राही, अधिवक्ता को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए शासकीय अभिभाषक, बस्तर (जगदलपुर) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए शासन की ओर से पैरवी करने के लिए लोक अभियोजक, बस्तर (जगदलपुर) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा पर (या 62 वर्ष जो भी पहले हो) नियुक्त करता है. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. शासन, विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 23 मई 2017

क्रमांक 4724/1536/21-ब/छ.ग./2017.—राज्य शासन, एतद्द्वारा अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक के पद पर नियुक्त श्री सतीश चन्द्र मिश्रा, अधिवक्ता, जिला-सरगुजा, अंबिकापुर (छ.ग.) को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए दिनांक 19-09-2015 से तीन वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 02 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उसी अवधि के लिए उन्हें अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 23 मई 2017

क्रमांक 4726/1539/21-ब/छ.ग./2017.—राज्य शासन, एतद्द्वारा अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक (FTC), जशपुर के पद पर नियुक्त श्री चन्द्रमोहन प्रसाद सिंह, अधिवक्ता, जिला-जशपुर (छ.ग.) को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए दिनांक 25-05-2016 से तीन वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 02 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उसी अवधि के लिए उन्हें अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 26 मई 2017

क्रमांक 4860/1518/21-ब/छ.ग./2017.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री आदित्य ताम्रकार, अधिवक्ता को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक, दुर्ग तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए शासन की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक, दुर्ग के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा पर (या 62 वर्ष जो भी पहले हो) नियुक्त करता है. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. शासन, विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 26 मई 2017

क्रमांक 4862/1518/21-ब/छ.ग./2017.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री कालीदत्त त्रिपाठी, अधिवक्ता को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक, दुर्ग तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए शासन की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक, दुर्ग के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा पर (या 62 वर्ष जो भी पहले हो) नियुक्त करता है. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. शासन, विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 26 मई 2017

क्रमांक 4864/1518/21-ब/छ.ग./2017.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री नागेश्वर प्रसाद यदु, अधिवक्ता को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए श्री लखन लाल यदु, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक एवं अतिरिक्त लोक अभियोजक, दुर्ग के स्थान पर अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक, दुर्ग तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए शासन की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक, दुर्ग के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा पर (या 62 वर्ष जो भी पहले हो) नियुक्त करता है. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. शासन, विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 26 मई 2017

क्रमांक 4866/1518/21-ब/छ.ग./2017.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री महेन्द्र कुमार राजपूत, अधिवक्ता को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक, दुर्ग तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए शासन की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक, दुर्ग के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा पर (या 62 वर्ष जो भी पहले हो) नियुक्त करता है. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. शासन, विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 26 मई 2017

क्रमांक 4868/1518/21-ब/छ.ग./2017.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री कमल किशोर वर्मा, अधिवक्ता को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए श्रीमती गौरी चक्रवर्ती, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक एवं अतिरिक्त लोक अभियोजक, दुर्ग के स्थान पर अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक, दुर्ग तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए शासन की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक, दुर्ग के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा पर (या 62 वर्ष जो भी पहले हो) नियुक्त करता है. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. शासन, विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 26 मई 2017

क्रमांक 4870/1518/21-ब/छ.ग./2017.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री विजय कुमार कसार, अधिवक्ता को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए श्री संतोष शर्मा, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक एवं अतिरिक्त लोक अभियोजक, दुर्ग के स्थान पर अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक, दुर्ग तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए शासन की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक, दुर्ग के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा पर (या 62 वर्ष जो भी पहले हो) नियुक्त करता है. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. शासन, विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार होता, अतिरिक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 28 जून 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	कुनकुनी प.ह.नं. 26	4.698	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया जिला-रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शम्मी आबिदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 12 जून 2017

क्रमांक 7087/भू-अर्जन/2017.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कटघोरा	कनबेरी	5.50 एकड़	कुदुरमाल एनीकट योजना के निर्माण हेतु

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 29-6-2017 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन कनबेरी नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	कुदुरमाल एनीकट योजना के निर्माण हेतु.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	26 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	26 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्रों में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 3179.12 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	परियोजना से औद्योगिक प्रयोजन हेतु जल प्रदाय निस्तार एवं भू-जल संवर्धन इत्यादि होगा. परियोजना से कुल 03 ग्राम लाभांवित होंगे.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	परियोजना से कुल 03 ग्राम में जल संवर्धन होगा तथा निस्तार एवं पेयजल की समस्या हल होगी.

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहम्मद कैसर अब्दुलहक, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 27 जून 2017

क्रमांक 01/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-ठेंगापाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.153 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	265/1	0.049
	265/2	0.049
	265/3	0.329
	265/4	0.065
	266	0.246
	268/1	0.032
	269	0.154
	279/2	0.304
	280	0.384
	281/1क/1	0.039
	281/1ग	0.065
	281/1ग/1	0.036
	281/1घ, 281/1ङ	0.047
	281/1च	0.008
	281/1छ	0.008
	281/1ज	0.008
	281/2क	0.053
	281/2ख	0.028
	281/2घ	0.057
	281/2ङ	0.053
	281/2च	0.024
	281/2छ	0.024
	281/2ज	0.008
	281/2झ	0.069
	282/1	0.020
	282/2	0.020
	282/3	0.089
	320	0.255
	321/1	0.190
	322/1	0.008
	322/3	0.081
	323/1	0.085
	324/1	0.166
	327	0.100
योग	35	3.153

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शम्मी आबिदी, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जून 2017

क्रमांक/9561/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-भूतहा, प.ह.नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.072 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	27/2	0.040
	28/1	0.012
	37/1	0.020
योग	03	0.072

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कचंदा एनीकट निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जून 2017

क्रमांक/9564/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कचंदा, प.ह.नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.069 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	2505	0.069
योग	01	0.069

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कचंदा एनीकट निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 4 जुलाई 2017

क्रमांक/10655/अ-82/20 17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-हरदी, प.ह.नं. 07
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.311 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	297/3	0.101
	298	0.210
योग	2	0.311

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुरदा वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. भारतीदासन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, महासमुन्द (छ.ग.)

महासमुन्द, दिनांक 2 जून 2017

शुद्धि पत्र

क्रमांक/934/नग्रानि/LU-28/2017.—छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 (1) के अनुसरण में पिथौरा निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि संबंधित मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक 72 महासमुन्द, दिनांक 16-01-2017 द्वारा किया गया था.

अत: एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधरण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट पिथौरा निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को तद्नुसार सम्यक् रूप से अंगीकृत किया जाता है एवं इस सूचना की प्रति अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है. जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक् रूप से तैयार कर अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

पिथौरा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम अर्जुनी, सरकण्डा, अट्ठारहगुड़ी, राजासेवैयाखुर्द एवं डोंगरीपाली ग्राम की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम डोंगरीपाली, सेवैयाकला, डिघेपुर, जंघोरा खुटेरी एवं अरंड ग्राम की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम अरंड एवं कौहाकुड़ा की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम कौहाकुड़ा, बरतुंगा, गड़बेड़ा, मुढ़ीपार एवं अर्जुनी ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, पुराना तहसील कार्यालय परिसर, राजस्व निरीक्षक कार्यालय के बाजू में, मेन रोड, महासमुन्द (छ.ग.)

No./934/T&CP/LU-28/2017.—The existing land use map and register for the Pithora Planning Area Existing land use map and Register was published under Sub section (1) of section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) vide Notice No. 72 Mahasamund, date 16-01-2017.

Therefore, a notice is hereby given for general information of the public that the Existing land use map and register of Pithora Planning Area Existing land use map and Register so prepared and published are duly adopted by the Assistant Director, Town & Country Planning, under the Provision of sub-section (3) of section 15 of the said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent of its publication in Chhattisgarh Gazette. Under the provision of sub-section (4) of section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above map and register have been duly prepared and adopted on date.

SCHEDULE

Limit of Pithora Planning Area

NORTH : Village Arjuni, Sarkanda, Aththhrahagudi, Rajasewaiyakhurd & upto Northern limit of, Village-Dongaripali.
EAST : Village Dongaripali, Sewaiyakalaa, Dighepur, Janghora, Khuteri & upto Eastern limit of, Village-Arand.
SOUTH : Village Arand & upto Southern limit of, Village-Kauhakuda.
WEST : Village Kauhakuda, Bartunga, Gadbeda, Mudipar & upto Western limit of, Village-Arjuni.

The said adopted maps and Register shall be available for inspection of general public at following place during office hours for a period of 15 days from the publication of the notice in the Chhattisgarh Gazette.

Inspection site : Office of the Assistant Director, Town & Country Planning, Old Tahsil office campus, Main Road, Mahasamund (C.G.).

महासमुन्द, दिनांक 2 जून 2017

शुद्धि पत्र

क्रमांक/936/नग्रानि/LU-35/2017.—छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 (1) के अनुसरण में बागबाहरा निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि संबंधित मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक 66, महासमुन्द, दिनांक 16-01-2017 द्वारा किया गया था.

अत: एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट बागबाहरा निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को तदानुसार सम्यक् रूप से अंगीकृत किया जाता है एवं इस सूचना की प्रति अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है. जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक् रूप से तैयार कर अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

बागबाहरा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम कल्याणपुर, बागबाहरा खुर्द, लालपुर तथा भानपुर की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम नवागांव कला, बागबाहरा कला, बागबाहरा खुर्द तथा कल्याणपुर की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम हरनादादर, नवागांव खुर्द तथा नवागांव कला की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम भानपुर तथा हरनादादर की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, पुराना तहसील कार्यालय परिसर, मेन रोड, महासमुन्द (छ.ग.)

No./936/T&CP/LU-35/2017.—The existing land use map and register for the Bagbahara Planning Area Existing land use map and Register was published under Sub section (1) of section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) vide Notice no. 66 Mahasamund, date 16-01-2017.

Therefore, a Notice is hereby given for general information of the public that the Existing land use map and register of Bagbahara Planning Area Existing land use map and Register so prepared and published are duly adopted by the Assistant Director, Town & Country Planning, under the Provision of sub-section (3) of section 15 of the said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent of its publication in Chhattisgarh Gazette. Under the provision of sub-section (4) of section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above map and

register have been duly prepared and adopted on date.

SCHEDULE

Limit of Bagbahara Planning Area

NORTH	:	Village Kalyanpur, Bagbahara Khurd, Lalpur & upto Northern Limit of Village-Bhanpur.
EAST	:	Village Navagaon Kalaa, Bagbahara Kalaa, Bagbahara Khurd & upto Eastern Limit of Village-Kalyanpur.
SOUTH	:	Village Harnadadar, Navagaon Khurd & upto Southern Limit of Village-Navagaon Kalaa.
WEST	:	Village Bhanpur & upto Western Limit of Village-Harnadadar.

The said adopted map and Register shall be available for inspections of general public at following place during office hours for a period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Inspection site : Office of the Assistant Director, Town & Country Planning Old Tahsil office campus, Main Road, Mahasamund (C.G.).

एस. आर. अजगरा,
प्र. सहायक संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

अम्बिकापुर, दिनांक 21 अप्रैल 2017

क्रमांक 1898/नग्रानि/अम्बिकापुर/वि.यो.-सीतापुर/2017.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि सीतापुर निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है उसकी एक प्रति कार्यालय कलेक्टर जिला सरगुजा, कार्यालय सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश अम्बिकापुर तथा नगर पंचायत सीतापुर में दिनांक 22-04-2017 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है.

सीतापुर निवेश क्षेत्र की सीमा निम्न अनुसूची में अंकित है :—

अनुसूची

सीतापुर निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम देवगढ़ एवं बमलाया ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम बमलाया, सोनतराई, आमाटोली, ढेलसरा, केशला एवं भिठुवा ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम भिठुवा, प्रतापगढ़, हर्राटिकरा, खड़गांव ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम खड़गांव, कतकालो एवं देवगढ़ ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किये गए भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर इस सूचना के छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस की समयावधि के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाना होगा.

भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर प्राप्त हो, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश अम्बिकापुर द्वारा विचार किया जावेगा.

No. 1898/T&CP/Ambikapur/DP-Sitapur/2017.—Notice is hereby given that the existing land use map for Sitapur planning area has been prepared under sub-section (1) of Section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973), and a copy thereof is available for inspection from date 22-04-2017 during office hours in the offices of the Collector District Surguja, Office of the Assistant Director Town and Country Planning Ambikapur and Nagar Panchayat Sitapur District Surguja.

The limit of Sitapur Planning Area is defined in the schedule given below.

SCHEDULE

Limits of Sitapur Planning Area

NORTH : Village Deogarh and upto the Northern limit of Bamlaya.
EAST : Village Bamlaya, Sontarai, Amatoli, Dhelsara, Keshla and upto the Eastern limit of Bhithuwa.
SOUTH : Village Bhithuwa, Pratapgarh, Harratikra and upto the Southern limit of Khadgaon.
WEST : Village Khadgaon, Katkalo and Upto the Western limit of Deogarh.

"If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared, it should be sent in writing to the Assistant Director, Town and Country Planning Ambikapur, within a period of thirty days from the date of publication of the notice in the "Chhattisgarh Gazette".

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map and register before the period specified above will be considered by the Assistant Director Nagar Tatha Gram Nivesh Ambikapur Chhattisgarh.

सूर्यभान सिंह ठाकुर,
सहायक संचालक.

कार्यालय, मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र एवं अध्यक्ष बायलर परिचर परीक्षक मंडल, छत्तीसगढ़

द्वितीय तल, उद्योग भवन, रिंग रोड नं.-1, तेलीबांधा, पो. आ.-रविग्राम, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 17 मई 2017

क्रमांक मुनिवा/बा.अ./ए-13/रिजल्ट/1765/2017.—बायलर परिचर नियम-2011 के प्रावधानों के अंतर्गत द्वितीय श्रेणी बायलर परिचर (अटेंडेंट्स) की प्रवीणता प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु जामुल, जिला-दुर्ग में दिनांक 02 मई-2017 से 04 मई 2017 को परीक्षा आयोजित की गई. परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित आवेदकों की सूची निम्नानुसार है :—

सरल क्र.	अनुक्रमांक	प्रमाण पत्र क्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पिता का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1	1145	श्री गोकुल राम विश्वकर्मा	श्री राधेश्याम
2.	9	1146	श्री जी. शेखर	श्री जी. जोगाराओ
3.	10	1147	श्री घनश्याम डनसेना	श्री दुखेश्वर प्रसाद
4.	11	1148	श्री अरविंद कुमार शाह	श्री बेकुंठ प्रसाद
5.	15	1149	श्री विनोद कुमार साहू	श्री सोविन्द राम साहू
6.	16	1150	श्री मुन्ना यादव	श्री पुनदेव यादव
7.	19	1151	श्री मनोज कुमार यादव	स्व. श्री जहूर सिंह
8.	20	1152	श्री हेमनाथ देवांगन	श्री ढेलु राम देवांगन
9.	25	1153	श्री सौरभ यादव	श्री स्व. रामनाथ यादव

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	31	1154	श्री राम कुमार सहू	श्री राम कुमार साहू
11.	36	1155	श्री हिमांशु थवाइत	स्व. श्री एम के थवाइत
12.	38	1156	श्री राजेश कुमार यादव	श्री राम सिंघासन
13.	41	1157	श्री रंजीत कुमार	श्री योगेंद्र साह
14.	43	1158	श्री नूतनलाल	श्री रत्न लाल
15.	44	1159	श्री टिकेन्द्र कुमार	श्री राम जी साहू
16.	46	1160	श्री अनेश्वार	श्री मंथिर लाल
17.	47	1161	श्री अभिराम निर्मलकर	श्री नीलकंठ निर्मलकर
18.	48	1162	श्री भूपेंद्र कुमार परगनिहा	श्री जगेस्वर प्रसाद
19.	49	1163	श्री रोशन लाल सतनामी	श्री द्वारिका प्रसाद सतनामी
20.	52	1164	श्री राजू कुमार	श्री ज्ञान दास
21.	53	1165	श्री डालम वी. सत्या रमेश	श्री डालम पुलयया
22.	54	1166	श्री जय कुमार	श्री भोगी लाल
23.	55	1167	श्री चंद्रभान पटले	श्री भारत लाल पटले
24.	56	1168	श्री छोटे लाल मरार	श्री लक्ष्मण प्रसाद मरार
25.	57	1169	श्री संजय कुमार	श्री सहदेव प्रसाद वर्मा
26.	59	1170	श्री मुकेश कुमार दुबे	श्री सीताराम दुबे
27.	61	1171	श्री कृष्णकुमार साव	श्री तेजलाल साव
28.	62	1172	श्री बसंत प्रजापति	श्री मुलु प्रजापति
29.	63	1173	श्री राजू लाल	श्री मेहत्तर लाल साहू
30.	64	1174	श्री भागवत प्रसाद	श्री दान सिंह
31.	69	1175	श्री दीपक कुमार	श्री वीरेंद्र सिंह
32.	70	1176	श्री तिलक राम	श्री नरेंद्र वर्मा
33.	72	1177	श्री नवनीत कुमार चौबे	श्री भोला नाथ चौबे
34.	75	1178	श्री उपेन्द्र कुमार यादव	स्व. श्री केदार राम यादव
35.	80	1179	श्री सुरेन्द्र कुमार पटेल	श्री गंगाधर पटेल
36.	82	1180	श्री शिवकुमार केंवट	श्री खिख राम केंवट
37.	84	1181	श्री मथुरा बरेठ	श्री मस्तराम
38.	85	1182	श्री दामोदर प्रसाद झरिया	श्री दुबराज सिंह
39.	87	1183	श्री सुशील कुमार	श्री देवेंद्र सिंह
40.	89	1184	श्री कृष्ण कुमार साहू	श्री महादेव
41.	92	1185	श्री सुभाष कुमार प्रधान	श्री मंगल प्रसाद
42.	93	1186	श्री बिरेन्द्र यादव	श्री राजधारी यादव
43.	100	1187	श्री सौरव अचर्जी	श्री असित अचर्जी
44.	104	1188	श्री कमल नारायण	श्री पुनुराम साहू
45.	106	1189	सुश्री नेहा साहनी	श्री भगवान दास
46.	107	1190	श्री जितेंद्र चौहान	श्री राजदेव चौहान
47.	111	1191	श्री कोमल दास	स्व. श्री रामेश्वर
48.	115	1192	श्री सपन कुमार चौहान	श्री नट्टुलाल चौहान
49.	118	1193	श्री सुरेन्द्र सिंह	श्री धीरपाल सिंह
50.	120	1194	श्री नारायण प्रसाद साहू	श्री सीताराम साहू
51.	123	1195	श्री मोहन लाल वर्मा	श्री मोती राम वर्मा
52.	125	1196	श्री रोहित कुमार चोपड़ा	स्व. श्री अनिल कुमार चोपड़ा
53.	128	1197	श्री विजय कुमार साहू	श्री अनुप राम साहू
54.	129	1198	श्री मोकेश्वर प्रसाद साहू	श्री मनीराम साहू
55.	130	1199	श्री दिनेश कुमार निषाद	श्री विष्णुप्रसाद निषाद
56.	133	1200	श्री हीरालाल	श्री शम्भु राम साहू

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
57.	134	1201	श्री माया चंद	स्व. श्री अयोध्या प्रसाद
58.	135	1202	श्री सचिन कुमार सोनी	श्री कमल नारायण सोनी
59.	139	1203	श्री अंकित कुमार गौरव	श्री दीनबंधु ठाकुर
60.	141	1204	श्री मोहम्मद यार खान	श्री जाफर खान
61.	142	1205	श्री सचिन यादव	श्री रामाश्रय यादव
62.	145	1206	श्री जय कुमार भोय	श्री बृंदावन भोय
63.	147	1207	श्री धनराज कुमार	श्री महावीर मांझी
64.	148	1208	श्री कुलदीप	श्री गणेश राम
65.	151	1209	श्री जयकिशन पटेल	श्री गणेश पटेल
66.	153	1210	श्री जय सिंह	श्री करण सिंह चंद्रवंशी
67.	158	1211	श्री सुद्धानंद	श्री कृष्णा कुमार धिवर
68.	159	1212	श्री हृदय लाल सिन्हा	श्री रामाधार सिन्हा
69.	160	1213	श्री राजुराम घृतलहरे	श्री चरणदास घृतलहरे
70.	162	1214	श्री मनोज कुमार साहू	श्री भगवती राम साहू
71.	164	1215	श्री अजय कुमार	श्री युगल किशोर सिंह
72.	166	1216	श्री जगजीत सिंह	श्री बलवंत सिंह
73.	169	1217	श्री उदे राम	श्री राम लाल वर्मा
74.	172	1218	श्री संजय कुमार	श्री बिसाहू राम
75.	174	1219	श्री सुरेश कुमार	श्री पुनाराम
76.	175	1220	श्री रोहित कुमार	श्री परमानंद वर्मा
77.	176	1221	श्री सतीश कुमार	श्री हेम राम वर्मा
78.	177	1222	श्री कन्हैया लाल साहू	श्री संतोष कुमार साहू
79.	178	1223	श्री ऐश कुमार	श्री शांतिकुमार डनसेना
80.	184	1224	श्री प्रमोद यादव	श्री शिवनारायण यादव
81.	191	1225	श्री राजकुमार रजक	स्व. श्री गिरधारी लाल
82.	193	1226	श्री चंद्रप्रकाश	श्री त्रिलोचन चौधरी
83.	194	1227	श्री सूरज कुमार रात्रे	श्री कौशल प्रसाद रात्रे
84.	197	1228	श्री अमित कुमार सिंह	श्री छोटेलाल सिंह
85.	199	1229	श्री राजेन्द्र कुमार सेठी	श्री गोपाल चरण सेठी
86.	204	1230	श्री भारत भूषण	श्री अलख राम वर्मा
87.	205	1231	श्री मनोज कुमार निषाद	श्री तिहारू राम निषाद
88.	206	1232	श्री हेमंत कुमार बेहेरा	श्री उधबा बेहेरा
89.	209	1233	श्री राजकुमार साव	स्व. श्री सोहर साव
90.	214	1234	श्री भीम सेन बेहरा	श्री नरसिंह बेहरा
91.	220	1235	श्री रामप्रसाद	श्री भीम राम यादव
92.	224	1236	श्री विनोद कुमार पटनायक	श्री गौरहरी पटनायक
93.	228	1237	श्री सुनील कुमार हरिचन्दन	श्री बैकुंठ नाथ हरिचन्दन
94.	231	1238	श्री रितेश कुमार राजपूत	श्री गजानन्द सिंह राजपूत
95.	234	1239	श्री प्रमोद कुमार बेहरा	श्री कृष्णा चन्द्र बेहरा
96.	235	1240	श्री दिनेश कुमार पटेल	श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेल
97.	236	1241	श्री ईश्वर प्रसाद साव	श्री फणीन्द्र कुमार साव
98.	237	1242	श्री कन्हैया लाल सिदार	श्री त्रिलोचन सिदार
99.	240	1243	श्री जैनेंद्र कुमार श्रीवास्तव	श्री कृष्णकांत श्रीवास्तव
100.	252	1244	श्री माधव प्रसाद पटेल	स्व. श्री राधेश्याम पटेल
101.	256	1245	श्री लक्ष्मण कुमार भगत	श्री भरत राम भगत
102.	258	1246	श्री उमेश कुमार दास	श्री परमेश्वर दास
103.	259	1247	श्री विवेक सिंह	श्री चंद्र भूषन सिंह

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
104.	260	1248	श्री गुलशन साहू	श्री विष्णु साहू
105.	263	1249	श्री जय कुमार	श्री नारायन दास
106.	264	1250	श्री हीरा लाल	श्री राम लाल
107.	265	1251	श्री घनश्याम प्रसाद	श्री जकली राम
108.	266	1252	श्री विकास कौशिक	श्री रमनिवास कौशिक
109.	268	1253	श्री रामेश्वर प्रसाद यादव	स्व. श्री रामसकल प्रसाद
110.	270	1254	श्री संतोष कुमार साहू	स्व. श्री दुकालू साहू
111.	275	1255	श्री भुवन दास	श्री नंदू
112.	276	1256	श्री अरविंद कुमार भटनागर	श्री उमा शंकर राय भटनागर
113.	277	1257	श्री सत्यप्रकाश	श्री रामकिशुन राय
114.	279	1258	श्री टिकेश्वर पाल	श्री नंदकुमार पाल
115.	77	1259	श्री इंद्रजीत वर्मा	श्री झुनौरम वर्मा
116.	117	1260	श्री उमाशंकर पटेल	श्री पन्नलाल पटेल
117.	119	1261	श्री महेंद्र कुमार	श्री सालिकराम स्वर्णकार
118.	281	1262	श्री मोहित कुमार	श्री सोंचन्द
119.	282	1263	श्री पंकज कुमार	श्री अशोक कुमार
120.	283	1264	श्री भूपेंद्र कुमार	श्री राधेश्याम
121.	284	1265	श्री गांधी सिंह राजपूत	श्री कामता सिंह राजपूत
122.	285	1266	श्री संजय कुमार	श्री बाली राम यादव
123.	287	1267	श्री कमल कुमार सिरमोर	श्री सोनश्री सिरमोर
124.	288	1268	श्री प्रवीण लकरा	श्री आगपित लकरा
125.	290	1269	श्री भागीरति	श्री रूपलाल
126.	294	1270	श्री घागरे चंद्रकांत तुकाराम	श्री तुकाराम विठोबा घागरे
127.	295	1271	श्री चंद्रा कांता मुंडा	श्री महेंद्र नाथ मुंडा
128.	296	1272	श्री पंकज राठौर	श्री मोहनलाल राठौर
129.	298	1273	श्री मिथलेश कुमार मिश्रा	श्री मदन प्रसाद मिश्रा
130.	302	1274	श्री मनोज मंडल	श्री बलराम मंडल
131.	304	1275	श्री तेजस्वी कुमार साहू	श्री तुलाराम साहू
132.	305	1276	श्री अंकुर कुमार	श्री यू.सी. कुशवाहा
133.	307	1277	श्री दीपक कुमार साहू	श्री बिजय कुमार साहू
134.	308	1278	श्री ब्रजेश कुमार सिंह	श्री बनारसी सिंह
135.	312	1279	श्री खेम लाल	श्री गंगा राम
136.	315	1280	श्री लीलाराम संतोष लीलहरे	श्री संतोष लीलहरे
137.	229	1281	श्री मुकेश कुमार श्रीवास	श्री हरिश्चंद्र श्रीवास

रायपुर, दिनांक 17 मई 2017

क्रमांक मुनिवा/बा.अ./ए-13/रिजल्ट/1765/2017.—बायलर परिचर नियम-2011 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रथम श्रेणी बायलर परिचर (अटेंडेंट्स) की प्रवीणता प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु जामुल, जिला-दुर्ग में दिनांक 04 मई-2017 से 06 मई 2017 को परीक्षा आयोजित की गई. परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित आवेदकों की सूची निम्नानुसार है :—

सरल क्र.	अनुक्रमांक	प्रमाण पत्र क्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पिता का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	3	637	श्री प्रताप नारायण सिंग	स्व. श्री शिवमुर्ति सिंग

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	6	638	श्री हेमंत कुमार	श्री मुकुंदराम यादव
3.	7	639	श्री राज कुमार साहू	श्री गजाधर साहू
4.	8	640	श्री शैलेन्द्र सिंग कैवर्त	श्री श्याम सिंग कैवर्त
5.	10	641	श्री सुसांत कुमार सामल	श्री सूर्यमनी सामल
6.	11	642	श्री प्रमोद कुमार	श्री चंदन लाल
7.	14	643	श्री राम गोपाल शर्मा	स्व. श्री डी. पी. सिंग
8.	19	644	श्री भुनेश्वर प्रसाद चंद्रा	श्री श्याम कुमार चंद्रा
9.	20	645	श्री आशीष कुमार मिश्रा	श्री सुदर्शन प्रसाद मिश्रा
10.	23	646	श्री मुन्ना उके	श्री कचरू लाल उके
11.	25	647	श्री योगेन्द्र निलाराम बिसेन	श्री निलाराम बिसेन
12.	30	648	श्री मुप्पना सुरेश	स्व. श्री मल्ली बाबु
13.	34	649	श्री सुरेश कुमार पटेल	श्री आत्मा राम पटेल
14.	38	650	श्री नवल किशोर वर्मा	श्री महादेव प्रसाद वर्मा
15.	39	651	श्री धनेश्वर कुमार	श्री तिजउ राम साहू
16.	40	652	श्री शंकर लाल वर्मा	श्री मंगलु राम वर्मा
17.	41	653	श्री संजीव कुमार सिन्हा	श्री नेमु राम सिन्हा
18.	43	654	श्री सुरेश कुमार पटनायक	स्व. श्री खेदु राम पटनायक
19.	46	655	श्री महेन्द्र दास बैरागी	श्री झुमुक दास बैरागी
20.	47	656	श्री नवीन कुमार द्विवेदी	श्री राजेन्द्र प्रसाद द्विवेदी
21.	50	657	श्री पुष्कर कुमार साहू	श्री लक्ष्मण साहू
22.	51	658	श्री सतीष कुमार सुमंत	श्री कपिल देव ठाकुर
23.	53	659	श्री कमल नारायण वर्मा	श्री राम जी वर्मा
24.	54	660	श्री पिन्टु कुमार कुशवाहा	श्री उदय भान कुशवाहा
25.	55	661	श्री तेजेश्वर प्रसाद वर्मा	श्री बद्रीराम वर्मा
26.	58	662	श्री गोकुल प्रसाद साहू	श्री जैत राम साहू
27.	64	663	श्री रूपेन कुमार खुटे	श्री मनराखन लाल खुटे
28.	67	664	श्री पंकज कुमार यादव	श्री राम मिलन यादव
29.	69	665	श्री जी. राम बाबु	स्व. श्री जी. रामुलू
30.	71	666	श्री ताम्रध्वज कलामत	श्री गैंदलाल कलामत
31.	72	667	श्री देवानंद वर्मा	श्री बिहारी लाल वर्मा
32.	73	668	श्री मन्नु लाल निषाद	श्री घांसी राम निषाद
33.	74	669	श्री पवन कुमार वैष्णव	श्री शिव चरण वैष्णव
34.	79	670	श्री कृष्ण कुमार वर्मा	श्री प्रभु राम वर्मा
35.	86	671	श्री चन्द्र प्रकाश उपाध्याय	श्री बृज बिहारी उपाध्याय
36.	92	672	श्री राजेन्द्र कुमार वैष्णव	श्री परमेश्वर वैष्णव
37.	93	673	श्री घनश्याम सिंग ध्रुव	श्री विशल सिंग ध्रुव
38.	95	674	श्री राधेश्याम पटेल	श्री खेलु राम पटेल
39.	98	675	श्री चन्द्र नाथ चन्द्रा	श्री दिलेश्वर प्रसाद चन्द्रा
40.	99	676	श्री मिथिलेश कुमार	श्री भुनेश्वर पासवान
41.	100	677	श्री विवेक कुमार	श्री शिव किशोर तिवारी
42.	101	678	श्री संतोष कुमार उके	श्री राज कुमार उके
43.	102	679	श्री अजित कुमार उपाध्याय	श्री सदानंद उपाध्याय
44.	109	680	श्री टेम्भरे लक्ष्मीकांत मुन्ना लाल	श्री मुन्ना लाल टेम्भरे
45.	110	681	श्री डामल लाल	श्री आधार
46.	112	682	श्री रूदेश पाण्डे	पुरूषोत्तम लाल पाण्डे
47.	113	683	श्री राकेश कुमार सोनी	श्री परदेशी लाल सोनी
48.	115	684	श्री रमीन पटेल	श्री नृपो राम पटेल

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
49.	122	685	श्री राजु कुमार वर्मा	श्री गंगाराम वर्मा
50.	129	686	श्री अमित कुमार साहू	श्री सीताराम साहू
51.	133	687	श्री राहुल कुमार सिंग	श्री राम बिनोय सिंग
52.	134	688	श्री विरेन्द्र कुमार साहू	श्री संतोष कुमार साहू
53.	138	689	श्री अश्वनी कुमार पटेल	श्री पंच राम पटेल
54.	140	690	श्री फणि शेखर झा	श्री भागेश्वर झा
55.	143	691	श्री मनोज कुमार मालाकार	श्री लोचन प्रसाद मालाकार
56.	148	692	श्री महेश कुमार	श्री पन्ना लाल भोय
57.	151	693	श्री देवेन्द्र कुमार वर्मा	श्री भागवत प्रसाद वर्मा
58.	152	694	श्री सुरेन्द्र कुमार	श्री सुखराम निषाद
59.	155	695	श्री पीलाराम साहू	श्री जमुना लाल साहू
60.	159	696	श्री श्रवण कुमार महिलान	श्री पुरुषोत्तम राम महिलान
61.	169	697	श्री डंबरू धर नायक	श्री काशी राम नायक
62.	174	698	श्री जगमोहन मरार	श्री श्याम सुंदर मरार
63.	175	699	श्री शोमनाथ चन्द्रा	श्री झाडु राम चन्द्रा
64.	178	700	श्री मदन सिंह जगत	स्व. श्री जानी राम जगत
65.	180	701	श्री कौशलेन्द्र कुमार	श्री तारकेश्वर प्रसाद
66.	185	702	श्री त्रिभुवन लाल पटेल	श्री कामता प्रसाद पटेल
67.	186	703	श्री रामनारायण चक्रधारी	श्री पुनीत राम चक्रधारी
68.	187	704	श्री श्रवण कुमार	श्री राम लाल चौहान
69.	191	705	श्री मकरध्वज चौहान	श्री विदेशी चौहान
70.	194	706	श्री रामकुमार साहू	श्री रामायण प्रसाद साहू
71.	198	707	श्री राजेश कुमार शर्मा	श्री नर्मदा कुमार शर्मा
72.	199	708	श्री नेत राम पटेल	श्री ननकी राम पटेल
73.	204	709	श्री नारायण कुमार साव	श्री कृष्ण चंद साव
74.	205	710	श्री बल्लभ कुमार पटेल	स्व. श्री नारायण प्रसाद पटेल
75.	206	711	श्री नितीन कैलाश गुप्ता	श्री कैलाश नाथ गुप्ता
76.	211	712	श्री तामेश्वर कुमार साहू	श्री शिव प्रसाद साहू
77.	217	713	श्री निमिश कुमार वर्मा	श्री परस राम वर्मा
78.	218	714	श्री मंगल माझी	श्री मैसा माझी
79.	220	715	श्री मदन मोहन प्रसाद	श्री हीरामन
80.	221	716	श्री दिनेश कुमार देवांगन	श्री दुखुवाराम देवांगन
81.	222	717	श्री अनिल कुमार	श्री भागनारायण सिंह
82.	228	718	श्री सत्यपाल कश्यप	श्री अमृत लाल कश्यप
83.	229	719	श्री देव कुमार यादव	श्री हरिमंगल यादव
84.	231	720	श्री संतोष कुमार चौधरी	श्री श्यामसुंदर चौधरी
85.	239	721	श्री राम राज	स्व. श्री गंगाराम खाकरे

फणीन्द्र कुमार भोई,
सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 12th April 2017

No. 758/Confdl./2017/II-2-90/2001 (Pt.III).—Shri Venseslas Toppo, Member of Lower Judicial Service, presently posted on deputation as officer-on-Special Duty, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur, who has been promoted and appointed to the post of District Judge (Entry Level) in officiating capacity by the State Government vide its order No. 3069/167/XXI-B/C.G./2017 dated 29-03-2017, is appointed as Additional Registrar (Classification) in the Establishment of the High Court from the date he assumes charge of his office.

Bilaspur, the 12th April 2017

No. 760/Confdl./2017/II-3-1/2017.—The following Civil Judges Class-I-Cum-Chief Judicial Magistrate/ Additional Chief Judicial Magistrate, as specified in Column No. (2) of the table below are, hereby, trasferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and are posted in the capacity as mentioned in column No. (6) from the date they assume charge of their offices :—

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Rakesh Kumar Som, Civil Judge Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate.	Khairagarh	Bijapur	Bijapur	Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
2.	Shri Anand Prakash Dixit, I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.	Durg	Raipur	Raipur	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.

Bilaspur, the 12th April 2017

No. 761/Confdl./2017/II-3-1/2017.—The following Senior Civil Judges as specified in Column No. (2) of the table below are, hereby, transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are appointed as Civil Judge Class-I-Cum-Chief Judicial Magistrate/Additional Chief Judicial Magistrate for the Revenue District mentioned in Column No. (5) in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their offices :—

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Ku. Radhika Saini, II Civil Judge Class-I.	Baikunthpur	Baikunthpur	Koriya (Baikunthpur)	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate Baikunth-pur.
2.	Shri Shailendra Chauhan, Secretary, District Legal Services Authority.	Kondagaon	Kanker	Uttar Bastar (Kanker)	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Shri Umesh Kumar Chauhan Secretary, District Legal Services Authority.	Raipur	Dantewara	Dakshin Bastar (Dantewara)	Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
4.	Smt. Jyoti Agrawal, Secretary, District Legal Services Authority.	Surajpur	Mungeli	Mungeli	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
5.	Shri Achhe Lal Kachhi, Civil Judge Class-I.	Kurud	Jagdalpur	Bastar (Jagdalpur)	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
6.	Ku. Udai Laxmi Parmar, Secretary, District Legal Services Authority.	Dantewara	Janjgir-Champa	Janjgir-Champa	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
7.	Smt. Kiran Tripathi, Civil Judge Class-I.	Pendra-Road	Mahasamund	Mahasamund	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
8.	Ku. Smita Ratnawat, Secretary, District Legal Services Authority.	Balod	Durg	Durg	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
9.	Shri Amit Rathore, II Civil Judge Class-I.	Raigarh	Khairagarh	Rajnandgaon	Civil Judge Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate.

Note :— The above officers shall not be entitled to the pay-scale mentioned in Rule 3 (2) (b) of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 unless they complete five years of continuous service as Civil Judge Class-I/Senior Civil Judge, After completion of 5 years of continuous service as Civil Judge Class-I/Senior Civil Judge, the conferment of benefit by way of ACP Scales shall be made on the appraisal of the work and performance by the High Court.

Bilaspur, the 12th April 2017

No. 763/Confdl./2017/II-3-1/2017.—The Following Senior Civil Judges as specified in Column No. (2) of the table below, are hereby transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assumes charge of their offices :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Krishna Kumar Suryawanshi, Secretary, District Legal Services Authority.	Raigarh	Baikunthpur	Koriya (Baikunthpur)	II Civil Judge Class-I
2.	Ku. Vandana Verma, Secretary, District Legal Services Authority.	Mahasamund	Kurud	Dhamtari	Civil Judge Class-I

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Smt. Mona Chauhan, Secretary, District Legal Service Authority.	Dhamtari	Pendra-Road	Bilaspur	Civil Judge Class-I
4.	Ku. Pushpalata Markande, Secretary, District Legal Services Authority.	Baloda-Bazar	Raigarh	Raigarh	II Civil Judge Class-I.
5.	Smt. Vibha Pandey, Secretary, District Legal Services Authority.	Janjgir-Champa	Bhilai-3	Durg	Civil Judge Class-I

By order of the High Court,
ARVIND SINGH CHANDEL, Registrar General.